न्यायालय जिला न्यायाधीश, धौलपुर।

मुन्नी देवी बनाम जगन्नाथ व अन्य

मूल वाद सं. 20/2014

दिनांक 12.09.2025

वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान में राजीनामा की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। मुताबिक गतादेशिका वादी के अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वादी के अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2023 की पालना में प्रदर्श डालने बावत् आपत्ति यादनामा न तो स्टाम्पित है और न ही पंजीयन कराया गया है इस संबंध में स्टाम्प की राशि जमा हो चुकी है इसका पंजीयन कराया जाना बाकी है। प्रतिवादी के अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त यादनामा की सहवन से फोटो प्रति पंजीयन हेतु चली गयी थी, जबकि उक्त यादनामा मूल भेजा जाना आवश्यक था, इस संबंध में वादी के अधिवक्ता का कहना है कि वे न्यायिक दृष्टांत पेश करना चाहते हैं अतः वे आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से न्यायिक दृष्टांत पेश करें जिससे उक्त दस्तावेज प्रदर्श कराया जा सके और प्रतिवादी की साक्ष्य की प्रभावी कार्यवाही/आगामी कार्यवाही की जा सके।

पत्रावली वास्ते पेश होने न्यायिक दृष्टांत/साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 20.09.25 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज.)